प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक 28.05.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 अकबरपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस,एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 25.05.2025 को जमुनीपुर में हुई सभाजीत वर्मा उर्फ विपुल हत्याकाण्ड की घटना का सफल अनावरण- अभियुक्त अखिलेश वर्मा पुत्र बेचू को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 अकबरपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 387/25 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त अखिलेश वर्मा पुत्र बेचू निवासी जमुनीपुर हरिपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर गवाही गवाहान व इलैक्ट्रानिक साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर कैथोलिया प्रईमरी स्कूल के पीछे बाग से समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त क पूंछ-ताछ व निशादेही पर आला कत्ल पेपर कटर घटनास्थल से कुछ दूर पर हरीराम आदि की बाग से बरामद किया गया। प्रकाश मे आये अभियुक्त के द्वारा दिनांक 25.05.2025 समय 21.30 बजे मृतक सभाजीत वर्मा उर्फ विपुल नामक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 387/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत हुआ। इस संदर्भ में कोतवाली अकबरपुर स्वाट टीम, एस0ओ0जी0 एवं सर्विलान्स के संयुक्त प्रयास से घटना का सफल अनावरण हो सका। उक्त घटना के सफल अनावरण में इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के अन्तर्गत –

1.इलेक्ट्रानिक साक्ष्य लोकेशन (मृतक व आरोपी का लोकेशन लगातार एक स्थान पर पाया जाना एवं लगातार एक दूसरे से घटना होने से पहले तक बातचीत सीडीआर के अवलोकन में पायी गयी है।

2.शराब की बोतल का ढक्कन जो कि घटनास्थल से प्राप्त हुआ है उसका वारकोड शराब की बोतल की ढक्कन के बार कोड से मैच कर रहा है। उक्त शराब की बोतल को अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर प्रयोग किया गया था जिसको अभियुक्त द्वारा खरीदा गया था। घटना में शराब की बोतल को खरीदते समय जो ट्राजेक्शन किया गया है उसी समय शराब की दुकान से भी अभियुक्त के द्वारा खरीदा जाना पाया गया जो कि दुकान के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से स्पष्ट है।

3. आरोपी के द्वारा पूछताछ में पेपर कटर जो कि आलाकत्ल के रूप में प्रयोग किया गया उसको घटनास्थल से कुछ दूर फेक दिया गया।

4.आरोपी के कपड़े जो घटना वाले दिन व समय पर पहने गये थे, का केमिकल टेस्ट किया गया तो कपड़ो पर मृतक के ब्लड के छीटे पाये गये।

5.पूछताछ से यह बात सामने आयी कि मृतक व आरोपी अक्सर साथ में बैठकर शराब का सेवन किया करते थे लेकिन मृतक अधिक खर्चा करवाता था इसी बात को लेकर दोनो के मध्य कहा सुनी हुई जिसमें अपमानजनक शब्द गालीगलौज हुई तथा नशे की हालत में होने का कारण अभियुक्त द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गयी।

उपरोक्त आधार पर अभियुक्त अखिलेश वर्मा उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अखिलेश वर्मा पुत्र बेचू निवासी जमुनीपुर हरीपुर थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 30 वर्ष।

विवरण अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 387/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारी दिनांक – 28.05.2025 **समय**– 13.20 बजे

गिरफ्तारी का स्थान- थोलिया प्रईमरी स्कूल के पीछे बाग से

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पाण्डेय
श्री अभिषेक त्रिपाठी प्रभारी स्वाट टीम(मय टीम)
श्री विनोद यादव प्रभारी एसओजी टीम(मय टीम)
उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी प्रभारी सर्विलांस सेल(मय टीम)
उ0नि0 विकास गौतम चौकी प्रभारी अरिया
का0 अमित तिवारी
का0 विभांशू विक्रम सिंह
का0 पंकज यादव
का0 नरेन्द्र कुमार